



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 526 राँची, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2022

संख्या- 15/ स्वा०-01-09/2013- 514 (15)/ स्वा०--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, के अधीन स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग के नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय-1: प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-** (i) यह नियमावली "झारखण्ड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2022" कही जाएगी ।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
(iii) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ:- जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

- (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है 'झारखण्ड राज्य सरकार',
- (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है 'स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग',
- (iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है 'झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग',
- (iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है 'निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची'
- (v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है 'झारखण्ड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग', तथा
- (vi) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट ।

3. संवर्ग का गठन:- स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी सरकार द्वारा स्वीकृत की जाय ।

4. स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग के कर्तव्य एवं दायित्व:- जिला में नोडल पदाधिकारी, आई०ई०सी० (सूचना, शिक्षा एवं संचार)/बी०सी०सी० (व्यवहार, परिवर्तन एवं संचार) एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की राय से कार्य योजना का निर्माण करना ।

- (i) डेटा का संग्रहण, संश्लेषण एवं विश्लेषण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तारीकरण करना ।
- (ii) स्वास्थ्य गतिविधियों का नियमित संचालन, भ्रमण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित दैनिक लेखा व अन्य पंजियों का संचालन एवं इनको नक्शों एवं चार्ट के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्रों(सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) पर प्रदर्शित करना ।
- (iii) समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के उन्नयन हेतु उन्हें प्रशिक्षित कर चिकित्सा पदाधिकारी को सहयोग करना ।
- (iv) स्वास्थ्य प्रशिक्षक कर्मियों समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर परिवार कल्याण समिति के सदस्य होंगे एवं संसाधन व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) के रूप में कार्य करेंगे।
- (v) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के दायरे में आने वाले सभी समिति के सफल संचालन हेतु चिकित्सा प्रभारी को सहयोग करना ।
- (vi) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कर्मियों, वैचारिक नेता, स्थानीय स्वास्थ्य संचालनकर्ता, स्कूल शिक्षक, दाई एवं अन्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- (vii) जिले के स्वास्थ्य प्रशिक्षक कर्मियों को मिलकर मास कम्यूनिकेशन का आयोजन करना जैसे - फिल्म शो, प्रदर्शनी, नाटक, इत्यादि ।
- (viii) सामुदायिक स्तर पर योग्य दम्पति पंजी का अनुश्रवण, तैयारी एवं अद्यतन करना साथ ही उनके कर्मियों को सुधारने हेतु तुरन्त प्रतिवेदन सौंपेंगे ।
- (ix) सभी शैक्षणिक (स्वास्थ्य संबंधित), मोटीवेशन एवं संचार कार्यक्रम के लिए जबाबदेह होंगे ।
- (x) शैक्षणिक एवं मोटीवेशनल कार्य हेतु अग्रिम स्वास्थ्य कर्मियों को सुपरवाइज करना ।
- (xi) स्वास्थ्य कर्मियों को प्रचार-प्रसार सामग्री की आपूर्ति करना ।
- (xii) 1 महीने में 15 दिनों की यात्रा (टूर) एवं कम से कम 1 रात का विश्राम प्रत्येक Field workers के क्षेत्र में ।

- (xiii) परिवार नियोजन अपनाने में प्रतिरोध एवं सेवा छोड़नेवाले व्यक्तियों को प्रेरित करने में Field workers को सहायता करना ।
 - (xiv) पठन एवं सहायक सामग्री की एक पूर्ण सेट को प्रशिक्षण कार्य हेतु अपने पास तैयार रखना।
 - (xv) स्कूल जानेवाले किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए व स्कूल नहीं जानेवाले युवा एवं किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सत्र का आयोजन करना।
 - (xvi) परिवार नियोजन अपनाने वाले विशेष दम्पति, विचारक नेताओं का गांव के अनुसार सूची बनाना एवं उनका परिवार कल्याण के कार्यक्रमों के उत्थान के लिए सहयोग लेना।
 - (xvii) आई०ई०सी०/बी०सी०सी०, गतिविधियों का समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मासिक progress report बनाना एवं जिले के नियंत्री पदाधिकारी को भेजना।
 - (xviii) नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
- 5. संवर्ग का पदसोपान:-** इस संवर्ग की विभिन्न कोटि एवं पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।

अध्याय-2: भर्ती /नियुक्ति

6. भर्ती /नियुक्ति:- इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी ।

7. अर्हताएँ:-

- (i) अनिवार्य योग्यता:- मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक होगी ।
- (ii) उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

- (iii) वांछनीय योग्यता:- कम्प्यूटर चलाने का व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय योग्यता होगी ।
- (iv) स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए, न्यूनतम आयु-सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय। अध्यायना वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र के अवधारणार्थ “कट आफ डेट” माना जायेगा ।

8. भर्ती की प्रक्रिया:- (i) नियुक्ति प्राधिकार वर्ष के पहली जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं प्रभावी आरक्षण कोटिवार रोस्टर क्लीयरेंस के उपरांत आरक्षण कोटिवार अध्यायना संबंधित आयोग को विभाग के माध्यम से 28/29 फरवरी तक भेजेगा।

(ii) संवर्ग के मूल कोटि के पद(स्वास्थ्य प्रशिक्षक) पर नियुक्ति की प्रक्रिया “झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021” के आलोक में की जायेगी।

(iii) स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग मेधासूची तैयार करेगा और अध्याचित रिक्तियों के अनुरूप, आरक्षण कोटिवार, अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा, जिसके आधार पर नियुक्ति किया जा सकेगा।

अध्याय -3: परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

9. परिवीक्षा अवधि:- नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे स्वास्थ्य प्रशिक्षक को सेवामुक्त कर सकेगा।

10. प्रशिक्षण:- परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा जो विभाग द्वारा विहित किया जाय।

11. विभागीय परीक्षा:-(i) स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को विभागीय परीक्षा, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ii) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतन वृद्धि हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने तक अवरुद्ध रहेगी तथा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतनवृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा।

12. सम्पुष्टि:- परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने, विभागीय परीक्षा, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही स्वास्थ्य प्रशिक्षक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

13. वरीयता:- स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी। साथ ही पूर्व से कार्यरत स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की पारस्परिक वरीयता उनके द्वारा पूर्व से धारित वरीयता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

अध्याय -4: प्रोन्नति

14. प्रोन्नति के सोपान:- (i) रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, सेवा में सम्पुष्ट स्वास्थ्य प्रशिक्षक को योग्यता एवं वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट-1 में उल्लेखित प्रोन्नति के सोपान के अनुसार प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(ii) मूल पदों से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधि की गणना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुरूप की जाएगी।

(iii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोन्नति और चारित्रि या Performance Appraisal Report, आरोप/विभागीय कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन अपेक्षित होगा।

15. विभागीय प्रोन्नति समिति:- विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड के प्रावधानानुसार किया जायेगा। प्रोन्नति, गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी।

अध्याय-5: प्रकीर्ण

16. आरक्षण:- सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

17. परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

18. अनुशासनिक कार्रवाई:- संवर्ग के सदस्यों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की जायगी।

19. अवशिष्ट मामले:- अन्य मामले जिनके संबंध में उपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।

20. निर्वचन:- यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो उसे विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. कठिनाई का निराकरण:-

- (i) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।
- (ii) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।
- (iii) यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति-

- (i) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से, निरसित समझे जायेंगे।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट-1.**झारखण्ड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग का पदसोपान**

क्र०	कोटि	पदनाम	छठां वेतनमान	सातवां वेतनमान	कुल पद	अभियुक्ति
1	मूल कोटि	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	PB-II 9300-34800 GP-4200	Level-6, Scale-35400	116	सीधी नियुक्ति द्वारा
2	प्रथम सोपान	वरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षक	PB-II 9300-34800 GP-4600	Level-7, Scale-44900	36	प्रोन्नति का पद
3	द्वितीय सोपान	स्वास्थ्य प्रशिक्षक पर्यवेक्षक	PB-II 9300-34800 GP-4800	Level-8, Scale-47600	22	प्रोन्नति का पद
4	तृतीय सोपान	वरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षक पर्यवेक्षक	PB-II 9300-34800 GP-5400	Level-9, Scale-53100	5	प्रोन्नति का पद

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
